



2026:AHC: 174021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 993 वर्ष 2026

मास्टर आदित्य उपाध्याय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 28 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजीव मोर्य

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. प्रत्यर्थी संख्या 12 के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पांडे ने अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आदेश दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), मास्टर आदित्य उपाध्याय को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, थाना विकास नगर, जिला लखनऊ के उप-निरीक्षक विनोद कुमार, पीएनओ संख्या 155062058, और महिला कांस्टेबल अर्चना राठौर, पीएनओ संख्या 162424690 द्वारा बंदी (कार्पस) को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), मास्टर आदित्य उपाध्याय से बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग 13 वर्ष है और वह मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज, महानगर, लखनऊ में कक्षा 8 में पढ़ रहा है। उसने कहा कि वह अपनी माता/प्रत्यर्थी संख्या 12, श्रीमती रुचि तिवारी की संगति में खुश है और अपने पिता/याचिकाकर्ता, बिनय कुमार उपाध्याय के साथ बातचीत करने या रहने का इच्छुक नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने पर, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उसका अपने पिता के साथ कोई भावनात्मक बंधन प्रतीत नहीं होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उसकी माता द्वारा काफी सिखाया-पढ़ाया गया है, जो बंदी (कार्पस) और उसके पिता के बीच किसी भी बातचीत या मुलाकात को सुविधाजनक बनाने की इच्छुक प्रतीत नहीं होती है। बंदी (कार्पस) ने अपने पिता के साथ कोई भी संबंध रखने या बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है और लगातार कहा है कि वह उनके साथ नहीं रहना चाहता है और अपनी माता के साथ ही रहना चाहता है।

5. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, बिनय कुमार उपाध्याय से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि वह अभी भी अपनी अलग रह रही पत्नी, श्रीमती रुचि तिवारी के साथ रहने के लिए तैयार है। हालांकि, उसके अनुसार, यह संभव नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे सूचित किया है कि उसने एक सक्षम न्यायालय से उसके विरुद्ध तलाक की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर लिया है।

6. इस न्यायालय ने श्रीमती रुचि तिवारी से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि वह वैचारिक मतभेदों के कारण 2013 से अपने पति से अलग रह रही है। उसने आगे कहा कि उसने बचपन से ही अकेले बंदी (कार्पस), मास्टर आदित्य उपाध्याय का पालन-पोषण किया है। उसने अपने पति से तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली है और, इस प्रकार, उनके बीच वैवाहिक संबंध टूट चुके हैं। इसलिए, उसके अनुसार, उनके एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है।

7. यह स्पष्ट है कि बंदी (कार्पस) अपनी माता, श्रीमती रुचि तिवारी के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन साझा करता है, जिसने याचिकाकर्ता, बिनय कुमार उपाध्याय के साथ कोई भी बातचीत या संवाद करने से इनकार कर दिया और उससे मिलने से भी मना कर दिया। यह भी स्पष्ट है कि बंदी (कार्पस) अभी भी कम आयु का है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सिखाया-पढ़ाया गया है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष बंदी (कार्पस) द्वारा दिए गए बयान को उसके प्रथम दृष्टया रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. जो भी हो, चूंकि बंदी (कार्पस) याचिकाकर्ता के साथ रहने का इच्छुक नहीं है और अपनी माता की संगति में सहज है, इसलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी अभिरक्षा याचिकाकर्ता को नहीं सौंपी जा सकती है, क्योंकि यह बंदी (कार्पस) के कल्याण और भलाई के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. श्रीमती रुचि तिवारी ने खुलासा किया है कि वह मॉडर्न एकेडमी, गोमती नगर, लखनऊ में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है और 31,500/- रुपये प्रति माह वेतन कमा रही है। इस प्रकार, वह आर्थिक रूप से अवयस्क बंदी (कार्पस) की देखभाल करने में सक्षम है।

10. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को केवल मुलाकात के अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं ताकि वह बंदी (कार्पस) के साथ भावनात्मक बंधन विकसित और मजबूत कर सके। तदनुसार, याचिकाकर्ता प्रत्येक रविवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच हनुमान मंदिर, अलीगंज, लखनऊ में बंदी (कार्पस) से मिलने का हकदार होगा। याचिकाकर्ता को प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच मोबाइल फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने की भी अनुमति दी जाएगी।

11. राज्य के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 7 और 8 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता और बंदी (कार्पस) के बीच ऐसी बैठकें और बातचीत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हों और बंदी (कार्पस) की माता, श्रीमती रुचि तिवारी द्वारा उनमें कोई बाधा या हस्तक्षेप न किया जाए।

12. तदनुसार, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका *निस्तारित* की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

18 अगस्त, 2026

जितेन्द्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”